प्रेस विज्ञप्ति दिनांक-28.09.2024

श्रीमान् जिलाधिकारी चन्दौली महोदय श्री निखिल टी. फुंडे द्वारा निर्गत आदेश के क्रम में व श्रीमान् पुलिस अधीक्षक चंदौली श्री आदित्य लांग्हे के कुशल निर्देशन में चन्दौली पुलिस व प्रशासन ने जब्त किया लगभग ₹ 98 लाख 75 हजार रुपये की चल, अचल सम्पत्ति-

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा संचालित संगठित अपराध की रीढ़ पर प्रहार नीति के तहत चन्दौली पुलिस व प्रशासन द्वारा संगठित/पेशेवर अपराधियों के विरूद्ध कठोरतम कार्यवाही सुनिश्चित की जा रही है। श्रीमान् जिलाधिकारी चन्दौली महोदय श्री निखिल टी. फुंडे द्वारा निर्गत आदेश के क्रम में व श्रीमान् पुलिस अधीक्षक चंदौली श्री आदित्य लांग्हे के कुशल निर्देशन में तथा अपर पुलिस अधीक्षक सदर विनय कुमार सिंह व क्षेत्राधिकारी पीडीडीयू नगर आशुतोष के पर्यवेक्षण में गैंगस्टर अभियुक्तों की अवैध सम्पत्ति जब्तीकरण के क्रम में मु0अ0सं0 233/2024 धारा-3(1) उ0प्र0 गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रिया-कलाप (निवारण) अधिनियम थाना मुगलसराय जनपद चन्दौली से सम्बंधित अभियुक्त जो रेलवे में बिलिगं कलर्क के पद पर कार्यरत रहते हुए अधिकारीयों / कर्मचारियों का मासिक वेतन की राशि वेतन से अधिक धनराशि बनाकर अपने तथा अपनी पत्नी नितू सिंह के खातों में सीधे ट्रान्सफर करता था तथा वेतन की मूल राशि अधिकारियो/ कर्मचारियों को अपने तथा अपनी पत्नी के खातों से जरिये मोबाईल ट्रान्सफर किया करता था। यह कार्य 2017-18 से कर रहा था इस प्रकार युवराज सिंह उर्फ जितेन्द्र सिंह व उसकी पत्नी नीतू सिंह उपरोक्त द्वारा बडे पैमाने पर सरकारी धन का गबन किया गया।

गैंगेस्टर युवराज सिंह उर्फ जितेन्द्र सिंह पुत्र राजाराम सिंह व उसकी पत्नी सह अभियुक्ता नीतू सिंह निवासीगण बेरी खेडा थाना साढ जनपद कानपुर नगर द्वारा अपने आर्थिक, भौतिक एवं अनुचित दुनियाबी लाभ हेतु आपराधिक कृत्यों से अर्जित धन चल सम्पत्ति 1. कैश बरामदगी 11,60,000.00 रु0 जो थाना मुगलसराय के मालखाना में दाखिल है। 2. केटा कार वाहन संख्या यूपी 71 ए०एफ० 0001 जिसकी अनुमानित कीमत 7,15,000. 00रू० है। अचल सम्पत्ति ग्राम भूखण्ड न० ए-49 व ए-50 क्षेत्रफल 295.2 वर्गमीटर मौजा गिरधरपुर तहसील व जनपद मथुरा अनुमानित कीमत 80,00,000.00 है। आपराधिक कृत्यों के अर्जित धन से क्रय की गई, उक्त सम्पत्ति को जिला मजिस्ट्रेट चन्दौली महोदय द्वारा 14(1) गैंगस्टर एक्ट के तहत राज्य सरकार के पक्ष में कुर्क किए जाने का आदेश श्रीमान् जिलाधिकारी चन्दौली महोदय श्री निखिल टी. फुंडे द्वारा पारित किया गया है। जब्त की गई चल अचल संपत्ति जनपद चंदौली व जनपद मथुरा में अवस्थित है। जनपद चंदौली सें संबंधित चल-अचल संपत्ति के जब्तीकरण हेतु उपजिला मजिस्ट्रेट पीडीडीयू नगर जनपद चंदौली व सहायक संभागीय परिवाहन अधिकारी (प्रसाशन) जनपद चंदौली को प्रसाशक नियुक्त किया गया है। जनपद मथुरा में चल-अचल सम्पत्ति ग्राम भूखण्ड न० ए-49 व ए-50 क्षेत्रफल 295.2 वर्गमीटर मौजा गिरधरपुर तहसील व जनपद मथुरा अनुमानित कीमत 80,00,000.00 के प्रबंधन के लिए जिला मजिस्टेट मथुरा को अपने स्तर से किसी सक्षम मजिस्टेट को प्रसाशक नियुक्त कर कुर्क शुदा संपत्ति को अपने कब्जे मे लेने के लिए अनुरोध किया गया है।

कुर्क की गयी सम्पत्ति का विवरण –

1.कैश बरामदगी 11,60,000.00 रु0 जो थाना मुगलसराय के. मालखाना में दाखिल है। के प्रबंधन के लिए उपजिला मजिस्ट्रेट पीडीडीयू नगर जनपद चंदौली को प्रसाशक नियुक्त किया गया है।

2. क्रेटा कार वाहन संख्या यूपी 71 ए०एफ० 0001 जिसकी अनुमानित कीमत 7,15,000. 00रू०के प्रबंधन के लिए सहायक संभागीय परिवाहन अधिकारी (प्रसाशन) जनपद चंदौली को प्रसाशक नियुक्त किया गया है।

3.अचल सम्पत्ति ग्राम भूखण्ड न० ए-49 व ए-50 क्षेत्रफल 295.2 वर्गमीटर मौजा गिरधरपुर तहसील व जनपद मथुरा अनुमानित कीमत 80,00,000.00 के प्रबंधन के लिअ जिला मजिस्ट मथुरा को अपने स्तर से किसी मक्षम मजिस्टेट को प्रसाशक नियुक्त कर कुर्क शुदा संपत्ति को अपने कब्जे मे लेने के लिए अनुरोध किया गया है।

आपराधिक इतिहास अभियुक्त युवराज सिंह उर्फ जितेन्द्र सिंह -

1.मु0अ0सं0 362/2023, धारा-409,411,120बी भा0द0वि0 थाना मुगलसराय जनपद चंदौली

2.मु0अ0सं- 233/2024, धारा-3(1) उ.प्र. गैंगेस्टर एक्ट थाना मुगलसराय जनपद चंदौली